

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 71/2014/जालौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त, जालौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार  
उम्मेदाबाद, जालौर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी-विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 25/आरवेट/जालौर/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त जालौर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत आरोपित मांग राशि रुपये 77,724/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा जो माल की खरीद की गई थी उस माल से संबंधित विक्रेता व्यवसाईयों द्वारा प्रत्यर्थी को खरीद के विरुद्ध जो ट्रेड डिस्काउण्ट दिया गया था उस राशि पर रुपये 77,724/- की आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया तथा प्रत्यर्थी द्वारा पेस्टीसाइड्स के कारोबार में रुपये 25,845/- की जो हानि हुई उसे बिक्री का भाग मानते हुए इस पर कर रुपये 1034/- तथा ब्याज रुपये 300/- आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि Grounds of Appeal में हानि की राशि पर करारोपण को अपास्त किये जाने को विवादित नहीं किया गया है, अतः ट्रेड डिस्काउण्ट के सम्बन्ध में आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने के बिन्दु पर ही प्रस्तुत अपील में विचार कर निर्णय किया जाता है।
2. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए उसे अपास्त करने एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

38

निरन्तर.....2

4. प्रत्यर्था बाजवूद सूचना अनुपस्थित।
5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जो आई.टी.सी. का रिवर्स की गई है उसका कोई विधिक आधार नहीं है क्योंकि प्रत्यर्था द्वारा माल का जो क्रय किया गया था उस माल पर जो भी कर चुकाया गया है उसकी आई.टी.सी. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अनुमत होती है एवं उस राशि में से अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत प्रयुक्त माल के सम्बन्ध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही रिवर्स किया जा सकता है।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2011 से अधिनियम की धारा 18 में उप धारा 3ए जोड़ते हुए यह प्रावधान किए गए हैं कि अनुदानित बिक्री (Subsidized sale) के मामलों में इनपुट टैक्स की राशि आउटपुट टैक्स की राशि से अधिक नहीं हो सकती परन्तु यह प्रावधान भी दिनांक 09.03.2011 के बाद ही प्रभावी होते हैं ऐसी स्थिति में दिनांक 09.03.2011 के पूर्व यदि किसी व्यवसाई द्वारा माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर भी विक्रय किया जाता है तब भी आई.टी.सी. को रिवर्स किए जाने के प्रावधान नहीं थे। दिनांक 09.03.2011 से नए प्रावधान जोड़ने से भी विधायिका की यह मन्शा स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2011 के पूर्व विक्रय मूल्य Subsidized होने पर भी आई.टी.सी. कम नहीं की जा सकती थी।
7. इस सम्बन्ध में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 244/2012/अलवर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, अलवर बनाम मैसर्स महावीर टेलीकॉम, अलवर निर्णय दिनांक 14.11.2017 में निर्णीत किया गया है कि :-  
"अधिनियम की धारा 18 में दिनांक 09.03.2011 के पश्चात यह संशोधन किया गया है कि आउटपुट से अधिक राशि की इनपुट राशि दिनांक 09.03.2011 के पश्चात अनुमत नहीं की जायेगी और उसमें भी यह शर्त है कि केवल उन मामलों में ही माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर किया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रकरण दिनांक 09.03.2011 से पूर्व के वर्ष का है अतः कर निर्धारण आदेश में रिवर्स की गई आई.टी.सी. के निर्णय को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने एवं उसके अनुरूप ही उसके ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की गयी हे बल्कि इस निर्णय की उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की जा चुकी है।"
8. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में जो ITC reversal को अपास्त किया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
9. आदेश प्रसारित गया।



(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य